तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
26/05/22	प्रस्तावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कदि अहकाम पर Not Press अंकन कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया गया किया गया। मनन्ज्ञान प्रस्तावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है, उक्त निवेदन से अधिवक्ता प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 32 RCA 1955 के विहाल में स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावली की गणना निरस्त कर की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अंकेक्षण में ली जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	Not Press

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 11:39:34 IST
Reason: SelfAttested